



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 476]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

का.आ. 590(अ).—भारत के राष्ट्रपति, आयकर निदेशालय (व्यय बजट) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के सृजन का तत्काल प्रभाव से अनुमोदन करते हैं।

2. आयकर निदेशालय (व्यय बजट) अनुदान सं. 42 प्रत्यक्ष करों के लिए सभी बजट मामलों के संबंध में नोटल प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा इस अनुदान के तहत व्यय बजट के प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य का निष्पादन करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

- (i) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथाविहित बजट परिपत्र जारी करना;
- (ii) इस अनुदान के तहत विभिन्न संघटक कार्यालयों/एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच करना;
- (iii) विभिन्न संघटक कार्यालयों/एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों को बजट अभ्यास के प्रत्येक चरण अर्थात् बजट अनुमान (बी ई), संशोधित अनुमान (आर ई) तथा अंतिम आवश्यकता (एफ आर) पर समेकन करना तथा उसे आगे की कार्रवाई हेतु वित्त सलाहकार (वित्त) को सौंपना;
- (iv) संबंधित बजट नियंत्रणकारी प्राधिकारियों को वस्तु शीर्ष-वार अनुमोदित प्रावधान आबंटित करना;
- (v) बजट अनुमानों के विवरण (एस बी ई) को संगत बजट दस्तावेजों में शामिल करने के लिए तैयार करना;
- (vi) मंजूर अनुदान की तुलना में व्यय की प्रगति की निगरानी करना तथा मासिक एवं तिमाही व्यय समीक्षा को आगे की कार्रवाई हेतु वित्त सलाहकार (वित्त) को सौंपना;

(vii) सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनुमोदन हेतु पुनर्विनियोजन आदेशों, बचतों आदि के अभ्यर्पण का प्रस्ताव वित्त सलाहकार (वित्त) को पेश करना;

(viii) प्रधान सीसीए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श से विनियोजन लेखों को अंतिम रूप देना तथा सहमति के लिए वित्त सलाहकार (वित्त) को सौंपना;

(ix) अनुदान हेतु विस्तृत मांग पर वित्त की स्थायी समिति द्वारा की गई जांच के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना;

(x) व्यय मामलों, उदाहरणार्थ, लेखा परीक्षा अनुच्छेदों/पीएसी अनुच्छेदों इत्यादि पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण में लेखा परीक्षा संदर्भों के संबंध में कार्रवाई करना;

(xi) उपर्युक्त से जुड़ा कोई अन्य मामला।

3. आयकर निदेशालय (व्यय बजट) का मुखिया आयकर निदेशक (व्यय बजट) होंगे जो आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारी होंगे तथा नई दिल्ली में अवस्थित होंगे। निदेशालय, आयकर महानिदेशक (संभारतंत्र) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करेगा तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक संबद्ध कार्यालय होगा।

4. आयकर निदेशालय (व्यय बजट) के दो प्रभाग होंगे। इन प्रभागों के मुखिया अपर आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी होंगे जो उन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्य निष्पादित करेंगे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रभागों को सौंपे गए कार्यों में संशोधन कर सकता है।

5. प्रत्येक प्रभाग में दो आयकर अधिकारी एवं समुचित कर्मचारी मंडल होंगे।

6. आयकर निदेशालय (व्यय विभाग) के कार्मिकों की आवश्यकता को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

7. फिलहाल कार्मिकों की आवश्यकता को आयकर विभाग की कुल संख्या से पूरा किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 15/2011/फा.सं. 402/88/13/2011-आयुक्त(समन्वय)]

अनिल उनियाल, उप-सचिव (मु.)